



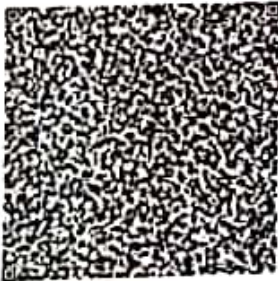
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

1/Calc.
Kartikanand Jaiswal
Branch Manager
Stock Holding Corporation of India Ltd.
S-2/630-18, Hashmi Complex
Chub Road, Kachahari Varanasi-221002

Certificate No. : IN-UP00984173207637N
Certificate Issued Date : 30-Mar-2015 02:32 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI/ UP-VNS
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101184748704198N
Purchased by : AGRANI HOMES PVT LTD
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : ARAZI No.402, KESHARIPUR, DEHAT AMANAT, VARANASI
Consideration Price (Rs.) : 3,30,00,000
(Three Crore Thirty Lakh only)
First Party : DEV SHANKER PANDEY
Second Party : AGRANI HOMES PVT LTD
Stamp Duty Paid By : AGRANI HOMES PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 16,50,000
(Sixteen Lakh Fifty Thousand only)



Please write or type below this line.

Handwritten signature

Misc file

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Handwritten signature
Authorised Signatory

XM 0001269968

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

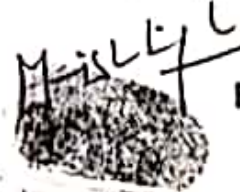
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

54AC 449020



विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना / तहसील : देहात अमानत / सदर
3. ग्राम : केशरीपुर, जिला वाराणसी
4. आराजी का विवरण : आराजी नम्बर 402.
5. मापन की ईकाई : वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 4044.609 वर्गमीटर
7. रास्ते की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : मौजूद नहीं
8. अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नेर) : लागू नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार (प्लॉट/फ्लैट/मकान/दुकान): खुली भूमि



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

54AC 449021

- | | |
|--|---|
| 10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल | : 4044.609 वर्गमीटर |
| 11. कुल आवृद्धित क्षेत्रफल | : लागू नहीं |
| 12. स्थिति (फिनिश/सेमीफि) | : लागू नहीं |
| 13. पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 14. वॉरिंग/कुआं अन्य | : कुछ नहीं |
| 15. निर्मित क्षेत्रफल | : लागू नहीं |
| 16. निर्माण का वर्ष | : लागू नहीं |
| 17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है | : नहीं |
| 18. प्रतिफल धनराशि | : 3,30,00,000/- |
| 19. सरकारी मालियत | : 3,30,00,000/- |
| 20. देय स्टम्प | : 23,10,100/- (जिसमें सट्टा दिनांक 22-03-2015 पर अदा स्टम्प से मुबलिंग 6,60,000/- रुपया की मुजराई हो रही है।) |
| 21. अदा स्टम्प | : 16,50,100/- |

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

54AC 449022

बौहदी :-

पूरव : सट्यथुदा जुज आराजी मजकूर प्रथम पक्ष
वादहूँ चहारदीवारी मातादीन विद्यालय।

पश्चिम : जमीन गणेश यादव।

उत्तर : जमीन मातादीन विद्यालय।

दक्षिण : जमीन श्रीमती बिन्दु पाण्डेय व श्री गौरीशंकर विश्वकर्मा वगैरह।

प्रथम पक्ष की संख्या-(1)

द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

तृतीय पक्ष की संख्या - (1)

देवशंकर पाण्डेय पुत्र, स्वर्गीय डॉ० गंगासहाय पाण्डेय निवासी
मकान नम्बर बी-1/84 पी-1, रविन्द्रपुरी एक्सटेंशन, अस्सी,
शहर वाराणसी।



..... प्रथम पक्ष/विक्रेता

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

54AC 449023

व

अग्रणी होम्स प्रा० लि० स्थित मकान नम्बर एम-3/9, एस.फे.
पुरी, बोरिंग रोड, थाना कृष्णपुरी, जिला पटना जरिये निदेशक
आलोक कुमार पुत्र श्री पी० सिंह निवासी योगीपुर, चित्रगुप्त
नगर, थाना पत्रकार नगर उर्फ लोहिया नगर, ककंड बाग,
जिला पटना, बिहार बजरिये अधिकृत हस्ताक्षरी मनीष कुमार
सिंह पुत्र श्री मुखली मनोहर सिंह निवासी मिथिला कालोनी,
नासरी गंज, थाना दीघा, जिला पटना, बिहार।

..... द्वितीय पक्ष/प्रेता



व
Mishra



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

54AC 449024

राज इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा० लि० स्थित गोला, चोलापुर, वाराणसी
वज्रिये जनरल मैनेजर कृष्ण सिंह पुत्र रविकर सिंह निवासी
अस्मिता ज्योति सोसायटी, मकान नम्बर ए/156, मलाड
(पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र।

..... तृतीय पक्ष/पुष्टिकर्ता

विदित हो कि आराजी नम्बर 402, रकबा 0.486 हेक्टेयर बाका
मौजा केशरीपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी
तनहां खरीदकर्ता जायदाद प्रथम पक्ष की है जिसे प्रथम पक्ष ने जरिये सात
रजिस्ट्रीथुदा बैनामा दस्तावेज नम्बर क्रमशः 2027/2009, 4169/2009,
6276/2009, 8053/2010, 4311/2011, 4792/2012 व



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

54AC 449025

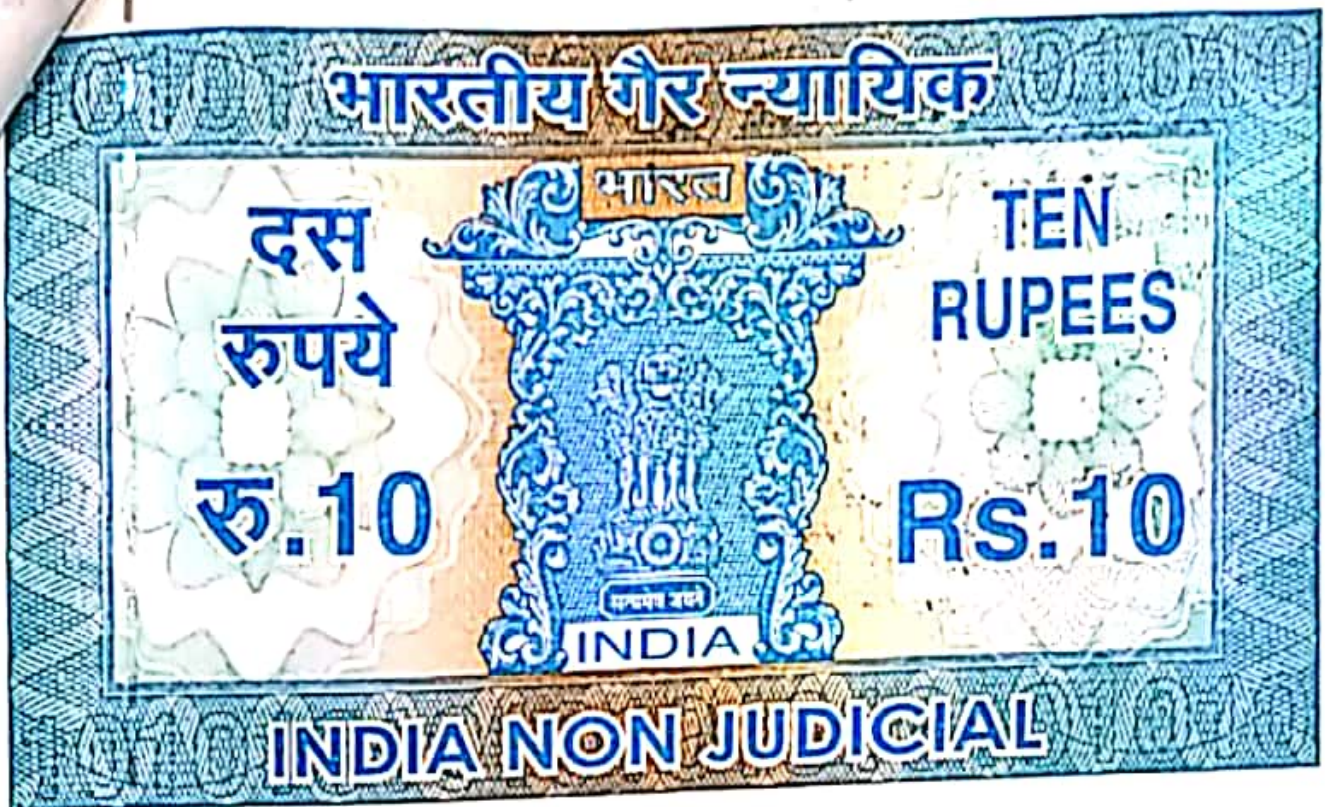
5252/2012 नविस्ता रामआसरे व रामअवध पुत्रगण स्वर्गीय रामनाथ तथा श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्वर्गीय रामनाथ बाबुजी कीमत कामिल क्रयकर हासिल किया है जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता बहैसियत तनहां मालिक अध्यासित रहकर अपने मनमाफिक उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता का नाम भी कागजात माल खतौनी में बहैसियत मालिक संक्रमणीय भूमिघर नियमानुसार दर्ज चला आ रहा है जिससे सिवाये प्रथम पक्ष/विक्रेता के किसी दीगर शख्स का कोई वास्ता सरोकार किसी किस्म का नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेता को अपनी जायदाद मजकूर हसब तफसील जैल के बाबत सभी प्रकार के स्वामित्वाधिकार मय हक हस्तान्तरण हासिल है जो चाहे सो करे। चूंकि जायदाद हसब तफसील जैल पुरानी ईट-भट्टे के कारण 8-10 फीट नीची, उबड़-खाबड़ असमतल भूमि है जिसमें मिट्टी भरकर ऊँचा व समतल करके, चहारदीवारी से



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd


Authorised Signatory





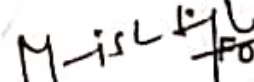
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

54AC 449026

घिरवाना है जिसमें काफी समय व धन लगेगा और सरेदस्त प्रथम पक्ष/विक्रेता को रुपये की असद जरूरत वास्ते तरक्की रोजगार तथा दीगर कार जरूरियात के दरपेश है और बिला बय किये जायदाद हसब तफसील जैल रुपये का मुहइया होना व जरूरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है। लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेता ने यह वाजिब व मुनासिब समझा कि जायदाद हसब तफसील जैल विक्रय कर उसके जर समन से जरूरियात वाला रफा कर लेवे। प्रथम पक्ष/विक्रेता ने जायदाद उपरोक्त को विक्रय करने की बातचीत आम लोगों में चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेता अग्रणी होम्स प्रा० लि० स्थित मकान नम्बर एम-३/९, एस.के. पुरी, बोरिंग रोड, थाना कृष्णपुरी, जिला पटना जरिये निदेशक आलोक कुमार पुत्र श्री पी० सिंह निवासी योगीपुर, चित्रगुप्त नगर, थाना पत्रकार नगर उर्फ लोहिया नगर, ककंड बाग, जिला पटना, बिहार बजरिये अधिकृत हस्ताक्षरी मनीष कुमार




For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.


Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

54AC 449027

सिंह पुत्र श्री मुरली मनोहर सिंह निवासी मिथिला कालोनी, नासरी गंज, थाना दीघा, जिला पटना, बिहार, प्रथम पक्ष/विक्रेता की विवर्णीत जायदाद को मुबलिंग 3,96,00,000/- (तीन करोड़ छियानवे लाख रुपया) में खरीदने को आमादा व तैयार है तथा जो कीमत बख्खाल बाजार व मौका वाजिव व मुनासिव है इतना या इससे अधिक कीमत कोई अन्य व्यक्ति अदा करने को तैयार नहीं है। लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेता ने विक्रय की बातचीत साथ द्वितीय पक्ष/क्रेता तय व पोछता कर किता सट्य इकरारनामा दिनांकित 23-02-2015 बवसूल जरे बयाना मुबलिंग 2,99,00,000/- (दो करोड़ निन्यानवे लाख रुपया) वहक द्वितीय पक्ष/क्रेता तहरीर व तकमील कर रजिस्ट्री करा दिया है। सट्य इकरारनामा मजकूर का इब्दाज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में वही संख्या 1 जिल्द 6926 के पृष्ठ 305 लगायत 350 पर बरनम्बर 1319 पर दिनांक 23-02-2015 को हुई है। मुताबिक



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

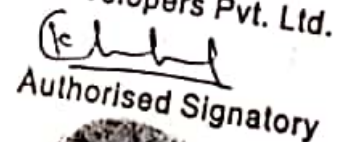
54AC 449028

शरायज पंजीकृत सट्टा इकरारनामा मजकूर द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि सट्टाशुदा जायदाद की बकिया कीमत अदाकर एक साथ या टुकड़ों में अपने खाह अपने नामिनी के हक में प्रथम पक्ष/विक्रेता से विक्रय विलेख निष्पादित व निबन्धित करा लेवे। प्रथम पक्ष/विक्रेता भी मुताबिक शरायत पंजीकृत सट्टा इकरारनामा मजकूर द्वितीय पक्ष/क्रेता के इच्छनुसार बकिया कीमत हासिल कर सट्टाशुदा जायदाद का एक साथ या टुकड़ों में विक्रय पत्र बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता खाह उसके नामिनी निष्पादित व निबन्धित करा देवे। प्रथम पक्ष/विक्रेता ने मुताबिक तय मौके पर मिट्टी की भराई एवं सामान्य चहारदीवारी निर्माण का लगभग नब्बे प्रतिशत कार्य सम्पादित करा दिया है और द्वितीय पक्ष/क्रेता जायदाद सट्टाशुदा का जुज रकबा 0.405 हेक्टेयर यानि 4044.609 वर्गमीटर भूखण्ड वर्तमान में प्रथम पक्ष/विक्रेता से अपने हक में बैनामा विलेख निष्पादित कराने व अवशेष का कार्य पूर्णता के बाद





For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.


Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

54AC 449029

कराने को प्रस्तुत है। प्रथम पक्ष/विक्रेता पंजीकृत विलेख मजकूर को दृष्टिगत रखते हुए बाएवज कीमत तय दर मुबलिग 3,30,00,000/- (तीन करोड़ तीस लाख रुपया) मजकूर सद्यशुदा जायदाद के जुज रक्या हसब तफसील जैल का विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष/क्रेता के हक में अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित होकर बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व अपने वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध करता व होता है :-

- 1) यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेता ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,30,00,000/- (तीन करोड़ तीस लाख रुपया) में से मुबलिग 2,99,00,000/- (दो करोड़ निन्यानवे लाख रुपया) वरवक्त रजिस्ट्री सद्य इकरारनामा मोरखा 23-02-2015 प्राप्त कर लिया है जिसका उल्लेख सद्य इकरारनामा मजकूर में मुबर्ज है व शेष

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

54AC 449030

मुबलिग 31,00,000/- जरिये आर.टी.जी.एस. बैंक अन्तरण द्वितीय पक्ष/क्रेता से प्राप्त कर लिया है। इस तरीक पर प्रथम पक्ष/विक्रेता ने विक्रीत सद्यथुदा रकबा हसब तफसील जैल की कुल तयथुदा कीमत दाम-दामे द्वितीय पक्ष/क्रेता से वसूल पा लिया अब एक भी पैसा बमद कीमत प्रथम पक्ष/विक्रेता का जिम्मे द्वितीय पक्ष/क्रेता याबत विक्रीत आराजी हसब तफसील जैल बाकी नहीं रहा, यदि इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेता कोई उज्र या ऐतराज बाबत अदायगी जरे समन वैनामा प्रस्तुत करता हैं तो वह वमुकाबिले बयनामा हाजा वातिल व नाजायज मुतसब्बर होगा।

- 2) यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेता ने आज की तिथि में विक्रयथुदा आराजी हसब तफसील जैल पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटकर वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय

Misil

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

54AC 449031

पक्ष/क्रेता का करा दिया है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेता को मुतालिक आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता कतई तौर से बय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि आराजी हसब तफसील जैल पर बतौर तनहां मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रूपेण उपयोग व उपभोग अपने मनमाफिक करें अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेता को न कोई एतराज करने का अधिकार है न आईन्दा होगा।

- 3) यह कि द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि वह आराजी हसब तफसील जैल पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम पक्ष/विक्रेता का नाम खारिज कराकर उस पर अपना नाम बतौर तनहां मालिक के दर्ज करवा लेवे व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद



For Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

54AC 449032

हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद आदि हासिल किया करें। आज के पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेता की होगी।

- 4) यह कि विक्रीत आराजी हसब तफसील जैल हर तरह के वारदेन नुक्स मिल्कियत आदि से पाक साफ है, कही किसी तरह से रेहन बंधक, बय सद्दा, कुर्की, जमानत, अवाप्ति आदि से प्रभावित नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेता के स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेता विक्रीत जायदाद के बावत सभी तथ्यों से भलीभांति अवगत होकर अपने हक में बैनामा निबन्धित करा रहा है। गर खिलाफ इसके आराजी हसब तफसील जैल में किसी प्रकार का कोई नुक्स पाया जावे जिसकी वजह से या बवजह फेल खाह तर्क फेल हम प्रथम पक्ष/विक्रेता कुल खाह जुज विक्रीत आराजी हसब

M-15 For Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

54AC 449033

तफसील जैल पर से द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर का कब्जा दखल निकल जावे या कोई बार मुतालिक आराजी मजकूर अदा करना पड़े तो वहर सूरत द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर को हक हासिल है व होगा कि कुल जरे समन बैनामा मय हर्जा खर्चा ख्वाह जिस कदर नुकसानी हो मय सूद दो रुपया सैकड़ा माहवारी हम प्रथम पक्ष/विक्रेता की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे।

- 5) यह कि तृतीय पक्ष/पुष्टिकर्ता का विक्रीत जायदाद के स्वत्व अधिकार, हित अथवा अध्यासन से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। सही वाकयात का इजहार करने व द्वितीय पक्ष/क्रेता के इत्मीनान व भरोसा के लिए तृतीय पक्ष बैनामा हाजा में बतरीक पुष्टिकर्ता फरीक सम्मिलित होकर बैनामा हाजा को पुष्ट कर रहे हैं। भविष्य में विक्रीत जायदाद इसव तफसील जैल के स्वत्व, अधिकार हित अथवा अध्यासन



For: Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

54AC 449034

- के बाबत तृतीय पक्ष पुष्टिस्ता किसी प्रकार का उज एतराज अथवा क्लेम न तो प्रस्तुत करेगा और न करने के अधिकारी होगा।
- 6) यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रयशुदा भूमि बशकल खुली आवासीय भूमि है जो चहारदीवारी से महदूद है और जिसमें अन्य कोई निर्माण अथवा पेड़ नहीं है।
- 7) यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक है व उनके नाम व पते अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही है।



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





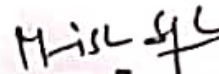
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

54AC 449035

- 8) यह कि विक्रयशुदा आराजी जिलाधिकारी द्वारा विहित मार्ग या खड़जा, पत्थर चौका, इण्टरलाकिंग मार्ग या सामान्य रास्ते पर स्थित नहीं है। विक्रीत आराजी में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई स्वतंत्र रास्ता उपलब्ध नहीं है।
- 9) यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति के 50 मीटर की परिधि में कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होती है और नगर निगम, वाराणसी सीमा के बाहर देहात में अविकसित क्षेत्र में स्थित है।
- 10) यह कि वर्तमान प्रभावी मूल्यांकन सूची के अनुसार विक्रीत सम्पत्ति रकबा 4044.609 वर्गमीटर की कीमत रु0 8100/- प्रति वर्गमीटर की दर से मुंबलिग 3,27,61,330/- रुपया होती है जिसमें सामान्य चहारदीवारी की कीमत 2,38,000/- रुपया आगणित कर जोड़ते हुए कुल सरकारी मूल्यांकन 3,29,99,330/- अर्थात् पूर्णांक



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.


Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(17)

54AC 449036

में 3,30,00,000/- रुपया होती है जिस पर नियमानुसार मुबलिंग 23,10,100/- रुपये का स्टाम्प देय है जिसमें से पंजीकृत सट्टा इकरारनामा दिनांकित 23-02-2015 पर अदा स्टाम्प मुबलिंग 7,92,200/- रुपया में से विलेख हाजा द्वारा विक्रीत रकबा का समानुपातिक अदा स्टाम्प 6,60,000/- समायोजित करते हुए अवशेष 16,50,100/- रुपये का स्टाम्प बैनामा हाजा पर अदा किया जा रहा है जिसमें पुष्टिकर्ता की स्टाम्प देयता सम्मिलित है।

- 11) यह कि पक्षगण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी पढ़कर समझ बूझकर इसके कानूनी प्रभाव से भलीभाँति अवगत होकर बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता तहरीर किया है जिसकी पूरी पावन्दी प्रथम पक्ष/विक्रेता व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष/विक्रेता पर है व आइन्दा रहेगी।



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

54AC 449037

इस वास्ते प्रथम पक्ष/विक्रेता ने यह तहरीर बतौर बयनामा लाकलागी के बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रयशुदा

आराजी नम्बर 402 (चार सौ दो), रकवा 0.486 हेक्टेयर में से जुज रकवा 0.405 हेक्टेयर यानि 43520 वर्गफीट अर्थात 4044.609 वर्गमीटर बाका मौजा केशरीपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है और जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित है :-

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(19)

54AC 449038

पूर्व : सट्यशुदा जुज आराजी मजकूर प्रथम पक्ष
बादहूँ चहारदीवारी मातादीन विद्यालय।

पश्चिम: जमीन गणेश यादव।

उत्तर : जमीन मातादीन विद्यालय।

दक्षिण : जमीन श्रीमती बिन्दु पाण्डेय व श्री गौरीशंकर विश्वकर्मा वगैरह।

गवाहान :- *Asim K Pandey*

1. नाम : *Mr. Ramnath Pandey*

पिता का नाम : *Mr. No. 694/H PLW VNS*

पूरा पता :

हस्ताक्षर :

Meer

Misra

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

[Signature]
Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(20)

54AC 449039

2. नाम : सतीश्वर
पिता का नाम : श्री सतीश्वर
पूरा पता : 46, 2nd Floor II, Nehru Park
हस्ताक्षर :

तहरीर तारीख :- 30-03-2015.

मसविदाकर्ता :-

(GOPAL NARAYAN MISHRA)
एडवोकेट

क्लेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :-

मनोज यादव
दीवानी कचहरी, वाराणसी।



For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

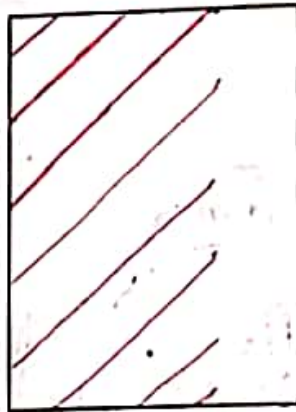
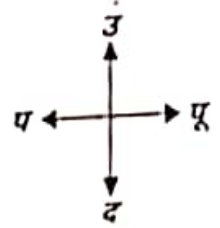
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

54AC 449040

नक्शा नजरी बाबत

आराजी नम्बर 402 (चार सौ दो), रकबा 0.486 हेक्टेयर
में से जुज रकबा 0.405 हेक्टेयर यानि 43520 वर्गफीट
अर्थात् 4044.609 वर्गमीटर बाका मौजा केशरीपुर, परगना
देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।



पूर : सत्यशुदा जुज आराजी मजकूर प्रथम पक्ष
बादल वहादीवारी मातादीन विद्यालय।
पश्चिम : जमीन गणेश यादव।
उत्तर : जमीन मातादीन विद्यालय।
दक्षिण : जमीन श्रीमती बिन्दु पाण्डेय व
श्री गौरीशंकर विश्वकर्मा वगैरह।

Manoj Yadav
Manoj Yadav, Civil Court, Varanasi
Mobile : 9336934348

For-Raj Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

48137
 दिनांक 30/3/15
 कोष क्रमांक 44/61/72/49
 पृष्ठ सं. 361 से 402 पर क्रमांक 2277
 राजस्थान के पुराणे कारिग रो
 पटना
 राजस्थान के पुराणे कारिग रो
 पटना
 राजस्थान के पुराणे कारिग रो
 पटना

आज दिनांक 30/03/2015 को
 वही सं. 1 जिल्द सं. 6998
 पृष्ठ सं. 361 से 402 पर क्रमांक 2277
 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव
 SRO2
 Sub Registrar-II VNS
 30/3/2015

